न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/169/2020	19.10.2020	28.04.2022

बउनवान

-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर जिला अलवर।

-- वादी

बनाम

1–रतीराम पुत्र किशनलाल जाटव निवासी अलापुर

-- प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

: निर्णय :

वादी तहसीलदार अलवर ने वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 पेश किया। प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि खातेदार (अप्रार्थी) ने अपने खातेदारी खेत खसरा न. 176/335 तादादी 0.38 है0 भूमि वाके ग्राम खेडका में 0.38 बीघा जमीन में गैर कृषि कार्य के उपयोग मे ले रहा है। जिसकी अप्रार्थी ने कोइ स्वीकृति या संपरिवर्तन नहीं कराया है। अप्रार्थी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भमि उसे कषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्य में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तनन कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में गैर कृषि उपयोग में केवल रिहायसी/पशुबाडा के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कर सकता है।उससे अधिक पर नही, अप्रार्थी ने 0.38 है0 को अकृषि कार्य दुकान बनाकर व्यवसायिक उपयोग में प्रयोग किये है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार विवादित कृषि भूमि को खातेदार ने बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। अप्रार्थी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही कर विवादित भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित की जाये ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार का कृत्य न कर सकें व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन उपयोग लेने पर रोक लग सके।

दावा रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण तलब किये गये। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत मिन प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 176/335 रकबा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम खेडका में स्थित है, जो कृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही थी तथा जिसके कुछ हिस्से पर कुछ समय से स्कूल संचालित किया जा रहा है, तथा जिस स्कूल के संचालन किये जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां उक्त भूमि को संपरिवर्तन कराये जाने के लिए ऑन लाईन आवेदन किया हुआ है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी को संपरिवर्तित किये जाने हेतु दिनांक 10.08.2021 को ही सक्षम अधिकारी यानि की उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां ऑन लाईन प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन लम्बित है।मिन परिवादी ने किसी भी प्रकार का नियमो का उल्लघन नहीं किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मौके पर तैयार नहीं की गई और ना ही मिन प्रतिवादी की मौजूदगी में तैयार की गई रिपोर्ट पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मिन प्रतिवादी के बाला इकतरफा में तैयार की गई है, जिसके संबंध में मिन परिवादी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही उक्त वाद करने से पूर्व मिन प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना दी गई। मिन प्रतिवादी उक्त आराजी का सद्भाविक काश्तकार है जिस आराजी के कुछ हिस्से पर ग्रामीण परिवेश के बच्चो के लिए शिक्षा यापन के उद्देश्य से मिन प्रतिवादी ने स्कूल संचालित किया है, जिससे कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित हो सके तथा जिनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है,कि मिन प्रतिवादी ने उक्त आराजी खसरा नम्वर 176/335 रकबा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम खेडका के कुछ हिस्से पर स्कूल संचालित किया हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चो को शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिस क्रम में मिन प्रतिवादी के द्वारा सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अलवर के कार्यालय में ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिस प्रार्थना पत्र का कमांक एलसी/2021–22/107207 दिनांक 10.08.2021 किया हुआ है। लेकिन वर्तमान वाद के साथ पेश किया हुआ स्थगन प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को यथावत स्थिति रखे जाने के आदेश पारित किये जाने के कारण उक्त भूमि रूपान्तरण/सपरिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मिन प्रतिवादी को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 116/335 रकवा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम खेडका जिला अलवर के संबंध में कृषि आराजी से रूपान्तरण करवाकर अकृषि कार्य हेतु (स्कूल संचालित करने के लिए) सक्षम अधिकारी के यहां भूमि रूपान्तरण हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। तथा जिस कारण वर्तमान मुकदमें के उस कार्यवाही में देरी ना हो इसलिए मिन प्रार्थी उक्त प्रकरण को श्रीमान व्यायालय से जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाना चाहता है।

हमने वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन किया। प्रतिवादी उक्त आराजी का सद्भाविक काश्तकार है उक्त आराजी खसरा नम्बर 176/335 रकबा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम खेडका के कुछ हिस्से पर स्कूल संचालित किया हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चो को शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिस क्रम में प्रतिवादी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी अलवर के कार्यालय में संपरिवर्तन हेतु ऑनलाईन क्रमांक एलसी/2021–22/107207 दिनांक 10.08.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, वादी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने पर दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी के रूपान्तकरण हेतु ऑनलाईन पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2020 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहने पर रूपान्तरण की कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः पत्रावली खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 बाबत विवादित आराजी खसरा नम्बर 176/335 रकबा 0.38 हैक्टर वाके ग्राम खेडका इस शर्त पर खारिज किया जाता है,कि प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के संबंध में रूपान्तकरण करवाते हुए रूपान्तरण आदेश तहसीलदार अलवर के समक्ष प्रस्तुत करें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर